जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग–प्रथम, आगरा

संस्थित का दिनांक–15.07.2014
निर्णय का दिनांक– 04.06.2025

परिवाद संख्या– 284/2014

सुजान सिंह पुत्र श्री नेकसे लाल निवासी मोरचा नहर थाना राजा का रामपुर, जनपद एटा

द्वारा विद्वान अधिवक्ता– श्री कश्मीर सिंह यादव एडवोकेट

------परिवादी

बनाम

1– डायरेक्टर/प्राचार्य एस0 एन0 मेडीकल कालेज, आगरा
2– डा0 अरूण राठौर सर्जन एस0 एन0 मेडीकल कॉलेज, आगरा
3– डायरेक्टर/हैड सेंट स्टीफन्स हॉस्पीटल, तीस हजारी, दिल्ली
4– डायरेक्टर/हैड सफदरजंग हॉस्पीटल, नई दिल्ली– 110098

द्वारा विद्वान अधिवक्ता– श्री गौरव जैन एडवोकेट
श्री मनीष गोयल एडवोकेट

------प्रतिपक्षीगण

अन्तर्गत धारा– 12, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

समक्ष :– श्री सर्वेश कुमार, मा0 अध्यक्ष
श्री राजीव सिंह, मा0 सदस्य

श्री सर्वेश कुमार, मा0 अध्यक्ष/न्यायाधीश द्वारा उद्घोषित

निर्णय

221

परिवादी द्वारा वर्तमान परिवाद प्रतिपक्षीगण के विरूद्व बरती गयी चिकित्सीय लापरवाही के आधार पर सेवा में कमीं के लिए धनराशि मु0 18,00,000/--रूपये मय ब्याज, मानसिक पीड़ा क्षतिपूर्ति एवं वाद व्यय दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है।

2– परिवादी का कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.07.2010 को करीब 7.00 बजे शाम परिवादी के पुत्र शैलेन्द्र सिंह को राजा का रामपुर से अपने गॉव मोरचा नहर जाते समय बदमाशो द्वारा गोली मार दी गयी थी, उसको उपचार हेतु अलीगंज सरकारी हॉस्पीटल ले गये, किन्तु गम्भीर हालत होने के

Scanned with OKEN Scanner

कारण उसी दिन एस0 एन0 मेडीकल कॉलेज आगरा के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया। रात्रि करीब 11.00 बजे घायल शैलेन्द्र सिंह को एस0 एन0 मेडीकल कॉलेज आगरा में भर्ती कराया गया। घायल शैलेन्द सिंह के पेट में गोली लगी थी, खून ज्यादा बह रहा था। डा0 अरूण राठौर की देख रेख में उसका इलाज शुरू हो गया। घायल के पेट में गोली लगने के कारण खून नहीं रूक रहा था। परिवादी तथा उसके रिश्तेदारों द्वारा भी कई बोतल खून दिया गया तथा बाहर ब्लड बैंक से भी व्यवस्था की गयी। डा0 अरूण राठौर द्वारा खून रोकने के लिए ऑपरेशन करने के लिए कहा गया और दिनांक 19.07.2010 को डा0 अरूण राठौर ने प्रथम ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के पश्चात् बताया गया कि गोली निकाल दी गयी। घायल को अतिरिक्त खून चढ़ाना पड़ा, किन्तु न तो खून बहना बन्द हुआ और न ही घायल की हालत में कोई सुधार आया। घायल की हालत में सुधार न होने के कारण डा0 अरूण राठौर ने दिनांक 03.08.2010 को पुनः ऑपरेशन किया। परिजनो द्वारा गोली के विषय में पूछने पर बताया गया कि गोली निकाल दी गयी है, लेकिन परिजनों को निकली हुई गोली दिखायी नहीं गयी। घायल शैलेन्द्र सिंह की हालत में कोई सुधार नहीं आया, ब्लड़ निकलना जारी रहा। ऐसी स्थिति में ही दिनांक 06.08.2010 को एस0 एन0 मेडीकल कॉलेज आगरा द्वारा घायल को सफदरजंग हॉस्पीटल नई दिल्ली के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया। जाचोंपरान्त दिनांक 07.08.2010 को ऑपरेशन का निरीक्षण किया गया, लेकिन डाक्टरो की हड़ताल होने के कारण इलाज नहीं हो सका। दिनांक 08.08.2010 को परिजनो द्वारा घायल शैलेन्द्र को सफदरजंग हॉस्पीटल से ले जाकर सेन्ट स्टीफन्स हॉस्पीटल तीस हजारी दिल्ली में भर्ती करा दिया गया। सारी जाचों के उपरान्त दिनांक 13.08.2010 शाम 5.30 बजे तक इलाज चला, लेकिन वहाँ पर घायल का गम्भीरतापूर्वक इलाज नहीं किया गया। सेन्ट स्टीफन्स हॉस्पीटल में भी एस0 एन0 मेडीकल कॉलेज आगरा की तरह प्रक्रिया दोहरायी गयी। गोली के विषय में डाक्टरो ने बताया कि पेट में कोई गोली नही है, किन्तु घायल मरीज की हालत पहले से ज्यादा बिगड़ती चली गयी और ब्लड निकलना बन्द नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में दिनांक 13.08.2010 को समय करीब 8.30 बजे सेन्ट स्टीफन्स हॉस्पीटल तीस हजारी

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम न्यायालय आगरा

Scanned with OKEN Scanner

नई दिल्ली से घायल शैलेन्द्र सिंह को पुनः सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में भर्ती कराया गया। वहाँ पर भी ज्यादा ब्लड निकलता रहा और बार–बार ब्लड चढ़ते रहे। गोली के विषय में बताया गया कि अन्दर कोई गोली नही है। पेट में कई अंग क्षतिग्रस्त हो गये हैं, इसलिए ब्लड आ रहा है, वहाँ पर एस0 एन0 मेडीकल कॉलेज आगरा के अनुसार ही कार्य करते रहे। दिनांक 19.08.2010 को सुबह 8.00 बजे परिवादी के घायल पुत्र शैलेन्द्र सिंह की मृत्यु हो गयी। दिनांक 19.08.2010 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फोरेंसिक जाँच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या वी0 के0 एम0– 113 वी0 पी0 के बाद पेट में मृत्यु के बाद गोली पायी गयी जो मृत्यु का कारण बनी। परिवादी मृतक शैलेन्द्र सिंह का पिता और उसका विधिक उत्तराधिकारी है तथा उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। परिवादी ने प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध सही इलाज न किये जाने व सेवा में कमीं के आधार पर यह परिवाद संस्थित किया है।

3– प्रतिपक्षीगण को नोटिस निर्गत किये गये, जिनकी तामील पर्याप्त रूप से हुई। प्रतिपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर से लिखित कथन दिनांकित 28.08.2023 कागज संख्या 204/1 लगायत 204/3 प्रस्तुत किया गया, जिसके अन्तर्गत परिवाद के अधिकांश प्रस्तरों को अस्वीकार करते हुये यह अभिकथित किया गया है कि दिनांक 18.07.2010 को रात्रि 11.40 बजे गोली लगने से घायल शैलेन्द्र पुत्र सुजान सिंह निवासी मोरचा नहर जिला एटा को गम्भीर अवस्था में एस0 एन0 मेडीकल कॉलेज आगरा में भर्ती किया गया था। घायल की गम्भीर स्थिति देखते हुये दिनांक 19.07.2010 को सुबह 5.00 बजे डा0 अरूण राठौर एवं उनकी टीम द्वारा ऑपरेशन किया गया। गोली ने मरीज की आँतों को कई जगह से फाड़ दिया था और गोली रीढ़ की हड्डी के पास सुरक्षित स्थान पर पड़ी हुई थी। गोली निकालने से मरीज की जान को खतरा था एवं मरीज को पैरालाइसिस होने की पूर्ण सम्भावना थी। इस स्थिति के विषय में मरीज के परिजनों को स्पष्ट रूप से बता दिया गया था। गोली लगने से आँतों के कई जगह फटने के कारण संक्रमण रोकने के लिए दिनांक 03.08.2010 को पुनः ऑपरेशन किया गया था। घायल मरीज शैलेन्द्र सिंह को परिजनों के अनुरोध पर सफदरजंग मेडीकल कॉलेज नई दिल्ली के लिए रेफर किया गया था। दिनांक 18.07.2010 से दिनांक

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम न्यायालय आगरा

Scanned with OKEN Scanner

06.08.2010 तक एस0 एन0 मेडीकल कॉलेज में घायल मरीज की शल्य चिकित्सा और उसके पश्चात् की चिकित्सा सम्पूर्ण चिकित्सीय मानकों के अनुसार दक्ष एवं कुशल डाक्टरों द्वारा की गयी थी। घायल मरीज की मृत्यु गोली के न निकलने से हुई है, यह तथ्य चिकित्सीय तर्कों के आधार पर सही नही है। परिवादी का परिवाद काल बाधित है। परिवादी को प्रतिपक्षी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है । चिकित्सीय लापरवाही के मामलों में बिना विशेषज्ञ आख्या के परिवाद दायर नहीं किया जा सकता। परिवादी उपभोक्ता की श्रेणी में नही आता है, क्योंकि प्रतिपक्षीगण द्वारा कोई फीस परिवादी से प्राप्त नहीं की गयी और एस0 एन0 मेडीकल कॉलेज/हॉस्पीटल एक सरकारी हॉस्पीटल है। प्रस्तुत परिवाद प्रतिपक्षी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

4— प्रतिपक्षी संख्या 03 ने अपना लिखित कथन दिनांकित 13.12.2017 कागज संख्या 103/1 लगायत 103/6 प्रस्तुत किया है, जिसके अन्तर्गत परिवाद के अधिकांश प्रस्तरों को अस्वीकार करते हुये यह अभिकथित किया है कि घायल मरीज शैलेन्द्र सिंह को एस0 एन0 मेडीकल कॉलेज आगरा से इलाज कराने के उपरान्त उसे सफदरजंग हास्पीटल ले जाया गया, जहां पर उसका एक दिन इलाज चला। तत्पश्चात् उसे प्रतिपक्षी हॉस्पीट में दिनांक 08.08.2010 को उपचार हेतु मरीज के परिजनों द्वारा भर्ती कराया गया था और उसके अस्पताल में दिनांक 13.08.2010 तक इलाज चला और दिनांक 13.08.2010 को LAMA की स्थिति में मरीज को अस्पताल से उसके परिजन ले गये। यह भी अभिकथित किया गया है कि एस0 एन0 मेडीकल कॉलेज के अनुसार गोली घायल मरीज शैलेन्द्र सिंह की स्पाइन में फँसी होने के कारण नहीं निकाली गयी । गोली से घायल मरीज होने के कारण मरीज की स्थिति अत्यन्त गम्भीर थी। चिकित्सीय मानकों के अनुसार पूर्ण रूप से उसका इलाज किये जाने पर भी घायल के परिजन सन्तुष्ट नही थे और स्वेच्छा से तीन—चार अस्पतालों में इलाज कराते रहे। अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा मरीज के उपचार में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती गयी और उसके विरूद्ध यह परिवाद गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

//

Scanned with OKEN Scanner

5-- प्रतिपक्षी संख्या 04 की ओर से उनके अधिवक्ता आभारानी अग्रवाल एडवोकेट डी0 जी0 सी0 सिविल दिनांक 11.05.2015 को उपस्थित हुये और प्रार्थना पत्र कागज संख्या 95 प्रस्तुत किया गया, किन्तु उनकी ओर से कोई लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में उसके विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई की गयी।

6-- परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में शपथ पत्र दिनांकित 16.07.2012 कागज संख्या 02 प्रस्तुत किया। परिवादी ने सूची कागज संख्या 03 से विधिक नोटिस दिनांकित 16.10.2010 की छायाप्रति कागज संख्या 6/1 लगायत 6/4, मरीज के इलाज के पर्चे कागज संख्या 8 लगायत 76 प्रस्तुत किये गये हैं। इसके बाद परिवादी ने प्रतिउत्तर शपथ पत्र कागज संख्या 106 व 107 प्रस्तुत किया जिसके साथ डिस्चार्ज समरी, डेथ समरी व इलाज के पर्चे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अखवार की कटिंग, कागज संख्या 108/1 लगायत 108/18 प्रस्तुत किये हैं। तत्पश्चात् परिवादी की ओर से प्रतिउत्तर शपथ पत्र दिनांकित 02.08.2018 दाखिल किया है जिसके साथ उपरोक्त दाखिल किये गये अभिलेखों की पुनः छायाप्रतियाँ प्रस्तुत की गयी हैं। परिवादी की ओर से शपथ पत्र दिनांकित 14.03.2024 कागज संख्या 207 प्रस्तुत किया गया, जिसके साथ सूची 208 से प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति, इलाज के पर्चे, रिकार्ड कागज संख्या 208/3 लगायत 208/100 प्रस्तुत किये गये हैं।

7-- प्रतिपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर से प्रति शपथ पत्र डा0 अरूण राठौर सहआचार्य एस0 एन0 मेडीकल कॉलेज आगरा दिनांकित 28.08.2023 कागज संख्या 205/2 लगायत 205/04 प्रस्तुत किया गया, जिसके साथ एस0 एन0 मेडीकल कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल आगरा से संबंधित इलाज के पर्चे, प्रपत्र कागज संख्या 205/5 लगायत 205/29 प्रस्तुत किये गये हैं। डा0 अरूण राठौर की ओर से अतिरिक्त प्रति शपथ पत्र दिनांकित 14.03.2024 कागज संख्या 209/1 लगायत 209/3 प्रस्तुत किया गया, जिसके साथ फोरेंसिक रिसर्च रिपोर्ट के अभिलेख की छायाप्रति कागज संख्या 209/04 लगायत 209/13 प्रस्तुत की गयी। प्रतिपक्षी संख्या 01 डा0 अरूण राठौर ने अपनी आख्या अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से इस आयोग के आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत की गयी जो कागज संख्या 80/1 लगायत 80/2 के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है।

8– प्रतिपक्षी संख्या 03 की ओर से प्रति शपथ पत्र डा0 अविनाश शर्मा दिनांकित 04.05.2018 कागज संख्या 111/1 लगायत 111/5 प्रस्तुत किया गया, जिसके साथ मरीज के इलाज से संबंधित रिकार्ड कागज संख्या 112 लगायत 150 पस्तुत किये हैं।

9– हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के मौखिक तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी लिखित बहस का भली प्रकार अवलोकन किया।

10– प्रस्तुत परिवाद का सुगमतापूर्वक निस्तारण किये जाने हेतु निम्न लिखित अवधार्य बिन्दु विरचित किये जाते हैं।

(1)– क्या परिवादी एवं प्रतिपक्षीगण के मध्य उपभोक्ता एवं सेवा प्रदाता का सम्बन्ध स्थापित है ?

(2)– क्या प्रतिपक्षी डाक्टर द्वारा इलाज में लापरवाही करके, सेवा में कमीं कारित की गयी ?

(3)– परिवादी किस अनुतोष को पाने का अधिकारी हैं ?

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम न्यायालय आगरा

निष्कर्ष

11 – बिन्दु संख्याः– 01 इस बिन्दु के अन्तर्गत यह विनिश्चय किया जाना है कि क्या परिवादी एवं प्रतिपक्षीगण के मध्य उपभोक्ता एवं सेवा प्रदाता का सम्बन्ध स्थापित है ? इस बिन्दु को साबित करने का भार परिवादी पर है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने यह बहस की कि मरीज शैलेन्द्र सिंह का दिनांक 18.07.2010 से दिनांक 06.08.2010 तक एस0 एन0 मेडीकल कॉलेज आगरा में भर्ती रह कर इलाज चला और तत्पश्चात् उसका इलाज सफदरजंग हॉस्पीटल नई दिल्ली व सेन्ट स्टीफन्स दिल्ली में चला, जिसके लिए उसने इलाज का खर्चा वहन किया। यह भी बहस की गयी कि परिवादी मृतक शैलेन्द्र सिंह का पिता है और वह उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। प्रतिपक्षी संख्या 01 व 02 के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त बहस का विरोध किया और यह बहस की है कि एस0 एन0 मेडीकल कॉलेज/हॉस्पीटल आगरा एक सरकारी हॉस्पीटल है और इलाज के दौरान परिवादी से कोई शुल्क/प्रतिफल प्राप्त नहीं किया गया और परिवादी उनका उपभोक्ता नही है और न ही वे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

Scanned with OKEN Scanner

1986 के अन्तर्गत उसके सेवा प्रदाता हैं। प्रतिपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर से इस सम्बन्ध में निर्णयज विधि **निवेदिता सिंह बनाम डा0 आशा भारती व अन्य निर्णीत दिनांकित 07.12.2021 मा0 सुप्रीम कोर्ट** प्रस्तुत की गयी है। प्रतिपक्षी संख्या 03 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह स्वीकार किया है कि सेंट स्टीफन्स हॉस्पीटल दिल्ली में दिनांक 08.08.2010 से दिनांक 13.08.2010 तक भर्ती रह कर इलाज हुआ है, जिसके लिए मरीज से इलाज का शुल्क व दवाई का बिल प्राप्त किया गया है। हमने उभय पक्ष की उपरोक्त बहस के संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। यह उल्लेखनीय है कि प्रतिपक्षी संख्या 01 व 02 एस0 एन0 मेडीकल कॉलेज/हॉस्पीटल एक सरकारी अस्पताल है, जिसमें मरीज से इलाज का खर्चा प्राप्त नहीं किया जाता है और निःशुल्क इलाज सरकार की ओर से किया जाता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त निर्णयज विधि **निवेदिता सिंह बनाम डा0 आशा भारती व अन्य निर्णीत दिनांकित 07.12.2021 मा0 सुप्रीम कोर्ट** के अन्तर्गत दी हुई विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये परिवादी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 (1) (डी) के अन्तर्गत उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है और न ही प्रतिपक्षी संख्या 01 व 02 उसके सेवा प्रदाता हैं। इसी प्रकार सफदरजंग हॉस्पीटल नई दिल्ली एक सरकारी अस्पताल है, जिसमे निःशुल्क इलाज किया जाता है और अस्पताल व उसके चिकित्सक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत उपभोक्ता एवं सेवा प्रदाता की श्रेणी में नहीं आते हैं। परिवादी की ओर से प्रतिपक्षी संख्या 03 सेन्ट स्टीफन्स हॉस्पीटल दिल्ली में खर्च किये गये बिल कागज संख्या 208/33 लगायत 208/67 प्रस्तुत किये गये हैं, जिसके अनुसार 36,242/-रूपये अस्पताल की फीस, दवाई व अन्य खर्चो का भुगतान परिवादी द्वारा किया गया है। इस प्रकार उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर परिवादी प्रतिपक्षी संख्या 01, 02 व 04 का उपभोक्ता नही है। परिवादी प्रतिपक्षी संख्या 03 सेन्ट स्टीफन्स हॉस्पीटल दिल्ली के लिये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 (1) (डी) के अन्तर्गत उपभोक्ता की श्रेणी में आता है तथा प्रतिपक्षी संख्या 03 परिवादी का सेवा प्रदाता है। बिन्दु संख्या 01 तदनुसार परिवादी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम न्यायालय आगरा

12 — <u>बिन्दु संख्याः— 02</u> इस बिन्दु के अन्तर्गत यह विनिश्चय किया जाना है कि क्या प्रतिपक्षी डाक्टर द्वारा इलाज में लापरवाही करके, सेवा में कमीं कारित की गयी ? इस बिन्दु को साबित करने का भार परिवादी पर है। इस बिन्दु के संदर्भ में परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह बहस की गयी कि एस0 एन0 मेडीकल कॉलेज में इलाज के दौरान मरीज के परिजन को यह बताया गया कि उसके शरीर से गोली निकाल दी गयी है, किन्तु नहीं निकाली गयी। इसी प्रकार सेन्ट स्टीफन्स हॉस्पीटल एवं सफदरजंग हॉस्पीटल नई दिल्ली ने भी इलाज करने वाले चिकित्सक/सर्जन द्वारा मरीज के शरीर से गोली नहीं निकाली गयी और उनके द्वारा चिकित्सीय मानको के अनुसार इलाज न करके, सेवा में कमीं कारित की गयी है, जिसके परिणामस्वरूप घायल मरीज शैलेन्द्र सिंह की दिनांक 19.08.2010 को सफदरजंग नई दिल्ली अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी उपरोक्त बहस के समर्थन में निम्न लिखित निर्णयज विधियाँ प्रस्तुत की हैं :—

1- Paschim Banga Khet Mazdoorsamity and Others Vs State of West Bengal and Others. 2014 (1) C.P.R. 247 (SC)

Chief Medical Officer, Ispat Hoapital and others Vs Peter Anand Kumar Ekka and Others. 2023 (3) C.P.R. 146 (NC)

3- Priya Narhari and Others Vs Chief Army Staff and Others. 2021 (1) C.P.R. 208 (NC)

4- Dr. Jagdish Lalwani and Another Vs Madan Lal Yadav and Others. 2022 C.P.R. 584(NC)

5- Janak Raj Dhami and Others Vs Manju Gupta and Others. 2022 (1) C.P.R. 488 (NC)

6- Srikanth Srikande and Others Vs Sun Shine Hospitals and Another. 2019 (1) C.P.R. 780 (NC)

7- K.K. Kotaiah Iras Vs Dr. T. Anjaiah and Others. 2017 (1) C.P.R. 707 (NC)

8- Dr. Mangla Vs Shailendra Singh. 2011 (3) C.P.R. 86 (NC)

9- Santokba Durlabhji Memorial Hospital and Medical Research Institute and Another Vs Bhanwar Lal. 2012 (2) C.P.R. 158

10- Post Graduate Institute Of Medical Education Research (P.G.I.) and Another Vs Mamta Rani@ Babli and Others. 2017 (1) C.P.R. 464 (NC)

प्रतिपक्षी संख्या 01 व 02 के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त बहस का विरोध किया और यह बहस की गयी कि गोली मरीज के Vital Organs (रीढ की हड्‌डी) के पास सुरक्षित पड़ी थी और जिससे मरीज को नुकसान नही हो रहा था, यदि सर्जन द्वारा कथित फसी हुई गोली को निकाला जाता तो मरीज की स्थिति नाजुक होने के कारण ऑपरेशन के दौरान मरीज को जान का खतरा हो सकता था, इसलिए इलाज के दौरान तत्काल फॅसी गोली को नहीं निकाला गया। यह भी बहस की गयी कि मरीज की ऑतों में संक्रमण होने के कारण उसका दिनांक 03.08.2010 को दुवारा ऑपरेशन किया गया था और मरीज के परिजनो के अनुरोध पर दिनांक 06.08.2010 को सफदरजंग हॉस्पीटल नई दिल्ली को रेफर कर दिया गया। इसी प्रकार सेन्ट स्टीफन्स हॉस्पीटल की ओर से भी यह बहस की गयी कि यदि मरीज की रीढ़ की हड्‌डी से गोली निकाली जाती तो उसे जान का खतरा हो सकता था। इसी प्रकार सफदरजंग नई दिल्ली हॉस्पीटल में भी इलाज के दौरान चिकित्सकों द्वारा मरीज की जान को खतरा होने के कारण ऑपरेशन के द्वारा गोली नहीं निकाली गयी। हमने उभय पक्ष की उपरोक्त बहस के संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक्‌रूपेण अवलोकन किया। मरीज शैलेन्द्र सिंह को दिनांक 18.07.2010 को सांय 7 बजे बदमाशों द्वारा आग्नेयास्त्र से गोली मारना कहा गया है और वहाँ के सरकारी अस्पताल से उसे एस0 एन0 मेडीकल कॉलेज आगरा रेफर किया गया। एस0 एन0 मेडीकल कॉलेज आगरा में तैनात डा0 अरूण राठौर सर्जन सह आचार्य ने अपने प्रति शपथ पत्र के साथ फोरेसिंक रिसर्च रिपोर्ट कागज संख्या 209/4 लगायत 209/16 प्रस्तुत की है जिसके अनुसार Vital Organs (रीढ की हड्‌डी) से लम्बे समय तक गोली (बुलेट) पड़ा रह सकता है और उसके

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम न्यायालय आगरा

Scanned with OKEN Scanner

निकालने पर मरीज को जान का खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में एस0 एन0 मेडीकल के सर्जन द्वारा मरीज के शरीर से बुलेट नही निकाली गयी। बुलेट निकालने से पूर्व पेट में अन्य क्षति व खून को रोके जाने का इलाज किया जाना चिकित्सीय मानको के अनुसार आवश्यक था। इस संदर्भ में हम यह भी उल्लेख करना चाहेगें कि डा0 अरूण राठौर कुशल एवं योग्य सर्जन हैं जो एस0 एन0 मेडीकल कॉलेज में असिसटेन्ट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। कोई भी सर्जन अपने अनुभव एवं चिकित्सीय मानकों के आधार पर मरीज का इलाज करता है । मरीज के कहने अथवा उसके परिजनों के कहने से इलाज का तरीका अथवा प्रकिया नहीं अपना सकता। इस संदर्भ में हम निर्णयज विधि **सी0 पी0 श्रीकुमार (डाक्टर) बनाम एस0 रामानुजम (2009) 7 सुप्रीम कोर्ट केसेस 130** का उद्धरण देना चाहेगें, जिसके अन्तर्गत मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि चिकित्सीय लापरवाही सावित करने का भार स्वयं परिवादी पर है और मात्र परिवाद में कथन करने से चिकित्सीय लापरवाही सिद्ध नही होती है। यह डाक्टर पर निर्भर करता है कि वह चिकित्सा के दौरान कौन सी प्रकिया अपनाता है, यह उसके विवेक पर निर्भर करता है। गम्भीर चोट के मामले में जटिलतायें होना सम्भव है। इसी प्रकार निर्णयज विधि **एम0 ए0 बीवीजी बनाम सुनीता व अन्य निर्णीत दिनांकित 19.10.2023 सुप्रीम कोर्ट** का उद्धरण देना चाहेगें, जिसके अन्तर्गत मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधि व्यवस्था दी गई है कि गम्भीर चोट के मामले में यदि अपेक्षा के अनुसार परिणाम प्राप्त नही होता है तो इसके लिए डाक्टर को दोषी नही ठहराया जा सकता। इसी प्रकार हम निर्णयज विधि **एस0 के0 झुनझुनबाला बनाम धनवंती कौर व अन्य (2019) 2 एस0 सी0 सी0** का उद्धरण देना चाहेगें, जिसके अन्तर्गत यह अवधारित किया गया है कि "there has to be direct nexus with these two factors to sue a doctor for negligence. It was further held that in every case where the treatment is not successful or the patient dies during surgery, it cannot be automatically assumed that the medical professional was negligent" इसी प्रकार निर्णय विधि डा0 (मि0) चन्दारानी

उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग न्यायालय प्रथम (जिला) आगरा

Scanned with OKEN Scanner

अखौरी व अन्य बनाम डा0 एम0 ए0 मैथ्युसेथुपाथी व अन्य 2022 लॉइव लॉ सुप्रीम कोर्ट 391 के अन्तर्गत मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि "It clearly emerges from the exposition of law that a medical practitioner is not to be held liable simply because things went wrong from mischance or misadventure or through an error of judgment in choosing one reasonable course of treatment in reference to another. In the practice of medicine, there could be varying approaches of treatment. There could be a genuine difference of opinion. However, while adopting a course of treatment, the duty cast upon the medical practitioner is that he must ensure that the medical protocol being followed by him is to the best of his skill and with competence at his command. At the given time, medical practitioner would be liable only where his conduct fell below that of the standards of a reasonably competent practitioner in his field" इसी प्रकार निर्णयज विधि विनोद जैन बनाम सन्तोक्वा दुर्लभ जीव मेमोरियल हॉस्पीटल व अन्य (2019) 12 सुप्रीम कोर्ट केसेस 229 के अन्तर्गत यह व्यवस्था दी गयी है कि "A fundamental aspect, which has to be kept in mind is that a doctor cannot be said to be negligent if he is acting in accordance with a practice accepted as proper by a reasonable body of medical men skilled in that particular art, merely because there is a body of such opinion that takes a contrary view. The test of negligence cannot be the test of the man on the top of a Clapham omnibus. In cases of medical negligence where a special skill or competence is attributed to a doctor, a doctor need not possess the highest expert skill, at the risk of being found negligent, and it would suffice if he execises the ordinary skill of an ordinary competent

man execising that particular art"

उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य सिद्ध नही है कि मरीज शैलेन्द्र सिंह के उपचार में प्रतिपक्षीगण ने चिकित्सीय लापरवाही बरती हो और चिकित्सीय मानकों के अनुसार मरीज के शरीर से गोली न निकाल कर चिकित्सीय लापरवाही अथवा सेवा में कमीं कारित की हो। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो उपरोक्त निर्णयज विधियाँ प्रस्तुत की गयी हैं, का हमने भली प्रकार अध्ययन किया। उनके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त निर्णयज विधियाँ प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थतियों से पूर्णतः भिन्न हैं और उनका कोई लाभ परिवादी को मिलता प्रतीत नहीं होता है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की इस बहस में कोई विधिक बल नही है कि प्रतिपक्षीगण द्वारा मृतक के शरीर से गोली न निकाल कर चिकित्सीय लापरवाही की गयी हो। बिन्दु संख्या 02 तदनुसार परिवादी के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

<u>13 – बिन्दु संख्याः– 03</u> इस बिन्दु के अन्तर्गत यह विनिश्चय किया जाना हैं कि परिवादी किस अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है ? बिन्दु संख्या 01 व 02 के निष्कर्ष को दृष्टिगत रखते हुये परिवादी याचित अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रस्तुत परिवाद खारिज किये जाने योग्य है। तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये उभय पक्ष को अपना–अपना वाद व्यय वहन करने कें लिए आदेशित किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद विरूद्ध प्रतिपक्षीगण, खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें।

(सर्जीव सिंह)
सदस्य
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
(प्रथम)आगरा।

(सर्वेश कुमार)
अध्यक्ष 04/6/2025
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
(प्रथम) आगरा।

आज यह निर्णय खुले आयोग में हस्ताक्षरित व दिनांकित उद्घोषित किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

(राजीव सिंह)
सदस्य
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
(प्रथम)आगरा।

(सर्वेश कुमार)
अध्यक्ष 04/6/2025
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
(प्रथम) आगरा।

दिनांक – 04.06.2025
एस०एस० पी०ए०–2

Free certified copy
Serial No. of the application 167
Date of receipt of application 04.06.2025
Name of the applicant [illegible]
Date of disposal 04.06.2025 OP3
Date of Preparation of copy 04.06.2025
Date of dispatch of free certified copy of order ✓
By Hand 04.06.2025
By Post by Hand
P.A.2
04/06/2025

Free certified copy
Serial No. of the application 178
Date of receipt of application 12.06.2025
Name of the applicant [illegible]
Date of disposal 12.06.2025
Date of Preparation of copy 12.06.2025
Date of dispatch of free certified copy of order ✓
By Hand 12.06.2025
By Post by Hand
P.A.2
12/06/2025

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम आगरा
न्यायालय

Free certified copy
Serial No. of the application 221
Date of receipt of application 17.07.2025
Name of the applicant [illegible]
Date of disposal 17.07.2025 OP-1
Date of Preparation of copy 17.07.2025
Date of dispatch of free certified copy of order ✓
By Hand 17.07.2025
By Post by Hand
P.A.2
17/7/2025